यह निरीक्षण प्रतिवेदन प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, रायपुर, देहरादून द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध कराई गयी किसी त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अप्राप्त सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, रायपुर, देहरादून के माह 09/2014 से 06/2017 तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री राजकुमार, लेखापरीक्षक, श्री खुशी राम व.ले.प, सुश्री रेखा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 21.07.17 से 25.07.17 तक श्री पुष्कर वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-प्रथम

1. परिचयात्मकः- इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा प्रथम लेखापरीक्षा है।

2. (I) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः-

(II) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	प्रा. अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2014-15	शून्य	शून्य	4376500	4176500	240000	200483	00	239517
2015-16	शून्य	शून्य	7790000	6870709	889000	526673	00	1281618
2016-17	शून्य	शून्य	9595000	9164674	6393000	5899054	00	924272

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः-

(₹ लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रा. अवशेष	प्राप्त	व्यय आधिक्य (+)	बचत (-)
.....शून्य.....					

(iii) इकाई को बजट आवंटन उत्तराखण्ड शासन द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना को सम्मिलित करते हे इकाई सी श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत् है :

उच्च शिक्षा निदेशालय हल्द्वानी (नैनीताल), प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय रायपुर, देहरादून, प्रवक्ता वर्ग, शिक्षणेत्तर अधिकारी/कर्मचारी वर्ग, कार्यालय प्रभारी, समूह ग कर्मचारी, समूह घ कर्मचारी।

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में , राजकीय महाविद्यालय, रायपुर, देहरादून को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, रायपुर, देहरादून की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 08/2016 एवं 05/2017 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 18 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर 01: छात्रों को वापस होने वाली प्रतिभूति राशि से रू0 1,10,957.00 का अन्य प्रयोजन पर नियमित ढंग से व्यय का प्रकरण पाया जाना।

कार्यालय प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय रायपुर (देहरादून) द्वारा कॉशनमनी से संबंधित रखरखाव किये गये खाता संख्या 722200550000294 (पी.एन.बी. रायपुर शाखा) तथा संगत अभिलेखों की लेखापरीक्षा में जांच की गयी।

जांच में पाया गया कि महाविद्यालय का प्रथम सत्र 2014–15 में प्रारम्भ हुआ जहां त्रिवर्षीय कोर्स संचालित हो रही थे। इस कारण, सत्र पूरा न होने के कारण छात्रों के प्रतिभूति राशि वापस होना लम्बित पाया गया। परन्तु, इसी बीच दिनांक 16.10.14, 01.11.14, 29.04.15, 02.05.15, 05.05.15 तथा 28.04.15 को महाविद्यालय द्वारा धन का आहरण कर अन्य प्रयोजन पर समय–समय पर व्यय किया गया। धनराशि के रखरखाव के संबंध में विभागीय दिशानिर्देशन का अभाव पाया गया। महाविद्यालय द्वारा 03 वर्षों की संकलित शुल्क की स्थिति अनुलग्नक में दर्ज है।

इस संबंध में पूछे जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि शासन/निदेशालय से स्पष्ट दिशा–निर्देश नहीं है। महाविद्यालय स्तर से कॉशनमनी का रखरखाव किया जाता है। जिसका संचालन महाविद्यालय स्तर से किया जाता है।

इकाई का उत्तर तर्कसंगत नहीं पाया क्योंकि शुल्क से सृजित कोष की राशि छात्रों को सत्र पूरा होने के बाद लौटाया जाना शेष था, परन्तु इकाई द्वारा पूर्व ही अन्य प्रयोजन के लिये कोष का संचालन प्रारम्भ कर दिया गया, जो अनुचित था।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

Annexure

Details of caution money

Year	No. of students caution money taken	Rate	Collected	Refund	Balance
1	2	3	4	5	6
2014-15	Boys 77 Girls 228	103@250 202@100	45950	-	45950
2015-16	Boys 233 Girls 100	333@100	33300	-	33300
2016-17	Boys 262 Girls 116	378@100	37800	-	37800
	1647		117050	Nil	117050

भाग-**III**

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-दो (अ) प्रस्तर संख्या	भाग-दो (ब) प्रस्तर संख्या	**STAN**
..... प्रथम लेखापरीक्षा			

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
.....प्रथम लेखापरीक्षा.....				

भाग-**IV**

इकाई के सर्वेत्तम कार्य

----------शून्य---------

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, रायपुर, देहरादून तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

(I) .....शून्य.....

2. सतत् अनियमितताएं

.....शून्य.....

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गयाः

क्र.सं.	नाम	पदनाम	अवधि
1.	डा. अन्जु अग्रवाल	प्राचार्य	12.07.14 से 27.02.15
2.	डा.एन.पी. माहेश्वरी	प्राचार्य	28.02.15 से 31.08.15
3.	डा. अन्जु अग्रवाल	प्राचार्य	01.09.15 से वर्तमान तक

(V) लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, रायपुर, देहरादून को इस आशय से प्रेषित किया गया कि वह लेखापरीक्षा टिप्पणी की प्राप्ति के एक माह के भीतर उसकी अनुपालन आख्या सीधे उप-महालेखाकार, सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, सी-1/105, वैभव पैलेस, इन्दिरा नगर, देहरादून को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.